<u>2023 का विधेयक सं.18</u>

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) संशोधन) विधेयक , 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनु चित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 2022 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 10 का संशोधन.- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 2022 का अधिनिय म सं. 6) की धारा 10 की उप-धारा 2) में, -

i) विद्यमान अभिव्यक्ति “जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी”, प्रतिस्थापित की जायेगी; और

ii) परंतुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति “पांच वर्ष” के स्थान पर अभिव्यक्ति “दस वर्ष” प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यु पाय) अधिनियम, 2022 2022 का अधिनियम सं. 6), अधिनियमित किया गया।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 की विद्यमान उप-धारा 2) यह उपबन्धित करती है कि परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह सार्वजनिक परीक्षा को संचालित करने के लिए न्यस्त या प्राधिकृत किया गया हो या नहीं हो, षडयंत्र में या अन्यथा अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होने का प्रयत्न करे अथवा इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लघंन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जायेगा और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

हाल ही की घटनाओं से यह प्रकट है कि अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित अपराध संगठित माफियाओं द्वारा कारित किये जा रहे हैं और उपर्युक्त अधिनियम में दण्ड के विद्यमान उपबंधों का इन पर कोई भयकारी प्रभाव नहीं पड़ा है। चूंकि, ऐसे अपराधों द्वारा एक उचित और

युक्तियुक्त भर्ती प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, उनके लिए अति कठोर दण्ड वर्तमान समय की आवश्यकता है।

इसलिए, राज्य सरकार की यह राय है कि पांच वर्ष के कारावास की न्यूनतम अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष और दस वर्ष के कारावास की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक कर दिया जाये।

तद्नुसार, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 10 की विद्यमान उप-धारा 2) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेंद्र सिंह यादव,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 2022 का अधिनियम सं. 6) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

10. शास्तियां.- 1) XX XX XX XX XX

2) परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए यदि कोई व्यक्ति, चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के कर्तव्य के लिए न्यस्त या प्राधिकृत किया गया हो या नहीं, षडयंत्र में या अन्यथा धारा 2च)) में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त हैं या लिप्त होने का प्रयत्न करता है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा:

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

XX XX XX XX XX XX

<u>Bill No.18 of 2023</u>

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (l) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 6 of 2022.- In sub-section (2) of section 10 of the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022 (Act No. 6 of 2022),-

(i) for the existing expression "less than five years but which may extend to imprisonment of ten years", the expression "less than ten years but which may extend to imprisonment for life" shall be substituted; and

(ii) in proviso, for the existing expression "five years", the expression "ten years" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government enacted the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022 (Act No. 6 of 2022) to prevent and curb the offences of leakage of question papers and use of unfair means at public examinations for the purpose of recruitment to any post under the State Government including autonomous bodies, authorities, boards or corporations.

Existing sub-section (2) of section 10 of the aforesaid Act provides that if any person, including examinee, whether entrusted or authorized with the conduct of public examination or not, in conspiracy or otherwise indulges or attempts to indulge in unfair means or contravenes or abets to contravene any of the provisions of this Act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment of ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees but which may extend to ten crore rupees and in case of default of payment of fine such person shall also be liable to be punished with imprisonment of either description for a term of two years:

Provided that the Court may for any adequate and special reasons to be recorded in the judgement impose a sentence of imprisonment for a term of less than five years.

It is evident from recent incidents that offences relating to use of unfair means are perpetrated by organised mafias and the existing provisions of punishment in the aforesaid Act does not have a deterrent effect on them. Since a fair and reasonable recruitment process is adversely affected by such crimes, more stringent punishment for them is the need of the hour.

Therefore, the State Government is of the opinion that minimum term of imprisonment of five years be increased to ten years and maximum term of imprisonment of ten years be increased to imprisonment for life.

Accordingly, the existing sub-section (2) of section 10 of the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022 is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेंद्र सिंह यादव,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) ACT, 2022
(Act No. 6 of 2022)

XX XX XX XX XX XX

10. Penalties.- (1) xx xx xx xx

(2) If any person, including examinee, whether entrusted or authorized with the conduct of public examination or not, in conspiracy or otherwise indulges or attempts to indulge in unfair means as defined in section 2 (f) (ii) or contravenes or abets to contravene any of the provisions of this Act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment of ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees but which may extend to ten crore rupees and in case of default of payment of fine such person shall also be liable to be punished with imprisonment of either description for a term of two years:

Provided that the Court may for any adequate and special reasons to be recorded in the judgement impose a sentence of imprisonment for a term of less than five years.

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 18 of 2023

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Rajendra Singh Yadav, **Minister-Incharge**)

<u>2023 का विधेयक सं. 18</u>

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) संशोधन) विधेयक , 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित सा धनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(राजेन्द्र सिंह यादव, **प्रभारी मंत्री)**